न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

नं.मु. – 95/25 **निर्णय दिनांक –**

चंदाराम पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू(राज0)

–वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू(राज0)
2. शाखा प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा बीदासर

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरस्ती

उपस्थित :– 1. श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट– वकील वादी

2 पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:–

रोही ग्राम रामदेवरा मे खाता संख्या नया 22 पुराना 20 खसरा संख्या 1992/1974 तादादी 4.0722 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम एकल खातेदारी मे दर्ज है। जिसका वादी खातेदार कब्जा काश्तकार है। उक्त खसरा की जमाबंदी मे वादी का नाम चान्दाराम अंकित है जबकि वादी के नाम से बने पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा वैंक खाता मे वादी का नाम चंदाराम अंकित है। वादी का सही नाम चंदाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से बिना जांच अशुद्ध नाम चान्दाराम दर्ज किया हुआ है। चंदाराम व चान्दाराम दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है। जमावंदी व पहचान दस्तावेजो मे वादी का नाम अलग अलग अंकित होने से वादी को उपरोक्त कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। न फार्मर आईडी

लगातार 2 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बन पा रही है तथा न ही किसान सम्मान निधि मिल पा रही है। वादी ने पहचान दस्तावेजो मे अंकितानुसार जमाबंदी मे चान्दाराम के स्थान पर चंदाराम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 02.04.2025 को साफ इंकार कर दिया। यही वाद का कारण है। वादगत कृषि भूमि ग्राम रामदेवरा मे स्थित है। इसलिये न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी की भूमि बैंक आफ बडौदा शाखा बीदासर के रहन दर्ज होने से बैंक को भी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 संयोजित किया गया है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम रामदेवरा के खसरा नंबर 1992/1974 तादादी 4.0722 हैक्टैयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम चान्दाराम के स्थान पर चंदाराम दर्ज किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सूचना न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब मे कोई राजहित नही होना जाहिर किया। वादी ने दावे के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया। जिसमे दावा मे अंकित तथ्यो को सही होना बताया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती का है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता आदि मे वादी का नाम चंदाराम अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम चान्दाराम अंकित है। जिसको वादी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर खेत खसरा नम्बर 1992/1974 तादादी 4.0722 हैक्टैयर वाके रोही रामदेवरा तहसील बीदासर जिला चूरू की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे चान्दाराम के स्थान पर चंदाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर